इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद।

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनॉक 19.09.2016 को जोनल अधिकारी श्री पुष्कर श्रीवास्तव के नेतृत्व में जोन संख्या–3 के अन्तर्गत अवैध निर्माणों के विरूद्ध व्यापक कार्यवाही के अन्तर्गत निम्न अवैध निर्माणों को सील किया गया :–

1– मिसा गेस्ट हाउस 70ए/7ए लोकपुर नैनी।
2– बाबा गार्डेन, एफ0सी0आई0 रोड चक दाउद नगर नैनी।
3– दीपक गेस्ट हाउस 22/1सी चक रघुनाथ नैनी।
4– कृष्णा गेस्ट हाउस लल्लन शर्मा मिर्जापुर रोड नैनी,
5– गंगा गार्डेन मेवा लाल की बगिया मिर्जापुर रोड नैनी।
6– ग्रीन गार्डेन मिर्जापुर रोड नैनी।
7– लक्ष्मी गार्डेन मिर्जापुर रोड नैनी।
8– स्वेच्छा गेस्ट हाउस मिर्जापुर रोड नैनी।
9– चन्द्रलोक गेस्ट हाउस ए0डी0ए0कालोनी नैनी।
10– सुन्दरम गेस्ट हाउस काजीपुर रोड नैनी।
11– राम वाटिका नैनी गॉव नैनी।
12– कृष्णा गार्डेन 247/267/273 संजय नगर नैनी।

अवैध निर्माणों के विरूद्ध सीलबन्दी की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

उक्त के अतिरिक्त जोनल अधिकारी श्री परमानन्द यादव के नेतृत्व में जोन संख्या–06 शान्तिपुरम आवास योजना के अन्तर्गत प्राधिकरण की अध्याप्त भूमि पर श्रीमती पूजा देवी पत्नी श्री मिथलेश कुमार व श्री श्यामलोदत्त शुक्ला द्वारा किये गये अवैध निर्माणों को ध्वस्त करा दिया गया।

उक्त कार्यवाहियों में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त अवर अभियन्ता श्री अशोक कुमार सिंह श्री रवीन्द्र शुक्ला श्री अश्वनी कुमार शुक्ला एवं श्री महेश चौधरी व प्राधिकरण गैंगमैन ,ए0डी0ए0 प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

(आलोक कुमार पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी/प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन

प्रतिलिपिः

सम्पादक समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करानें का कष्ट करें।

विशेष कार्याधिकारी/प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद।

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनॉक 19.09.2016 को जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में पूर्व दिवस दिनॉक 15.09.2016 को कराये गये अतिक्रमण हटानें की कार्यवाही को आगे बढाते हुए सिविल लाइन्स स्थित इन्दिरा भवन के बेसमेण्ट, भूतल एवं प्रथम तल पर दुकानों के सामनें गलियारों, सीढियों, निकास द्वारों, ओपेन स्पेश आदि में अतिक्रमण कर चलाये जा रहे अवैध रूप से अस्थायी व स्थायी दुकानों को लगभग पूर्ण रूप से हटवा दिया गया तथा लोहे की एंगल से स्थायी रूप से जो अवैध कब्जे किये गये थे उनको कटवाकर तथा अनधिकृत ग्लो साइन बोर्ड, विक्रय हेतु सामाग्री, काउन्टर, कबाड़, दुकानों के विस्तार आदि को हटवाया गया। तीन तलो की सफाई भी करायी गयी। अतिक्रमण एवं गन्दगी से जहॉ लोगों का आना जाना बाधित था वहीं बीमारी फैलनें की पूरी सम्भावना थी। अवशेष अतिक्रमणों को दिनॉक 19.09.2016 को पूर्ण रूप से हटवा दिया गया। चिन्हित अवैध अतिक्रमण कर्ताओं के ऊपर जुर्माना भी लगाया जा रहा है।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकरी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भवन निरीक्षक श्री आर0एन0 आजाद, श्री विजय शंकर पाण्डेय लिपिक श्री आशुतोष तिवारी व अन्य प्राधिकरण कर्मचारी गैंगमैन ,ए0डी0ए0 प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

(आलोक कुमार पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी/प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन

प्रतिलिपिः

सम्पादक समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करानें का कष्ट करें।

विशेष कार्याधिकारी/प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन